भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2703** जिसका उत्तर

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 (20 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाना है

ओडिशा में तटीय क्षरण तथा पत्तन अवसंरचना की सुरक्षा

2703 डा. सस्मित पात्रा:

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने ओडिशा में पत्तनों, मत्सयन बंदरगाहों तथा समुद्री अवसंरचना को प्रभावित करने वाले तटीय क्षरण का कोई आकलन किया है;

(ख) चिह्नित किए गए संवेदनशील तटीय क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा मौजूदा एवं प्रस्तावित पत्तन अवसंरचना पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान संस्वीकृत एवं पूर्ण किए गए तथा कार्यान्वयनाधीन तटीय संरक्षण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओडिशा में पत्तनों एवं तटीय अवसंरचना के जलवायु-सहनीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख): पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर),, ने वर्ष 1990-2022 की अवधि के लिए ओडिशा तट के साथ-साथ तटरेखा परिवर्तन विश्लेषण का एक व्यापक मूल्यांकन और मानचित्रण किया है। अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 28.3% तटरेखा कटाव से गुजर रही है, 17.6% स्थिर बनी हुई है (कोई महत्वपूर्ण तटरेखा परिवर्तन नहीं हुआ है), और 54.1% में अभिवृद्धि हो रही है। दीर्घकालिक तटरेखा परिवर्तन विश्लेषण के आधार पर ओडिशा तट के चिन्हित किए गए संवेदनशील हिस्सों के साथ-साथ जिला-वार कटाव की स्थिति **अनुबंध 1** पर उपलब्ध है।

(ग): सागरमाला योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए संस्वीकृत तटीय सुरक्षा परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध 2** पर उपलब्ध है।

(घ): ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि ओडिशा में विकसित या विकासाधीन सभी गैर-महापत्तन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत हैं। संबंधित पत्तन डेवलपर्स/ रियायतप्राप्तकर्ताओं को पत्तन विकास कार्यों की योजना बनाते और निष्पादित करते समय, यथालागू, तटीय खतरों और पर्यावरणीय शर्तों को ध्यान में रखते हुए, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत तटीय क्षेत्रों और पत्तन अवसंरचना की सुरक्षा, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

लागू मानदंडों के अनुसार, पत्तन अवसंरचना और विकास के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और/या राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीज़ेडएमए) से पर्यावरण/तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरज़ेड) मंजूरी आवश्यक है। एमओईएफएंडसीसी और सीज़ेडएमए द्वारा अनुबंधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) जैसे अध्ययन, परियोजनाओं के विकास के हिस्से के रूप में किए जाते हैं। परियोजना के लिए किए गए अध्ययनों के आधार पर, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपेक्षित शमन उपाय किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, एमओपीएसडब्ल्यू ने महापत्तनों के लिए ड्रेजिंग दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो ओडिशा का एक महापत्तन, पारादीप पत्तन पर भी लागू है जिससे कि संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पत्तनों के सतत विकास के लिए ड्रेज की गई सामग्री के पुनरुपयोग के साथ ड्रेजिंग परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

अनुबंध 1

(क): वर्ष 1990-2022 के लिए ओडिशा के तटों के साथ तटरेखा परिवर्तन की स्थिति:

जिले का नाम	**तटीय लंबाई (किमी) में**	**प्रतिशत में**		
		कटाव	**स्थिर**	**संवर्धन**
गंजम	60.18	45.7	27.7	26.6
पुरी	138.16	10.2	11.5	78.3
जगतसिंहपुर	55.80	47.6	13.5	39.0
केंद्रपाड़ा	149.36	45.0	16.8	38.1
बधारक	72.36	4.6	19.6	75.8
बालेश्वर	88.28	23.8	22.3	54.0
कुल	**564.14**	**28.3**	**17.6**	**54.1**

* तटीय लंबाई विश्लेषण उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती है।

(ख): दीर्घकालिक तटरेखा परिवर्तन विश्लेषण के आधार पर ओडिशा तट के साथ चिह्नित संवेदनशील हिस्सें:

क्रम सं.	राज्य	स्थान
1	गंजम	गोपालुर पत्तन के उत्तर में, मयूरपाड़ा से भ्रामरकुडी तक
2	पुरी	चिल्का सागर मुहाने के दोनों ओर, केउताजंगा, देवी नदी के मुहाने के दक्षिण में, देवी नदी का मुहाना
3	जगतसिंहपुर	कुसुपुर से सहदाबेदी, सहदाबेदी से जटाधरतांडा
4	केंद्रपाड़ा	हेतमंडिया, हुकीटोला, पेन्था से सतभाया, सतभाया से गहिरमाथा
5	बधारक	अमरनगर
6	बालेश्वर	बागदा, चौमुख, नारायण मोहंती पाडिया, बिंधपादमपुर से तलसारी

अनुबंध 2

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य	स्थिति	परियोजना लागत (करोड़ में)
1	नदी हुगली/भागीरथी ब्लॉक और पी.एस. कल्याणी, नादिया जिले, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के बाएं तट पर कटाव रोधी कार्य	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण	पश्चिम बंगाल	पूर्ण	16.63
